सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 ज्येष्ठ, 1940 (श०)

संख्या- 544 राँची, मंगलवार 29 मई, 2018 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

30 नवम्बर, 2017

विषय:- खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को रूपये 150.00 प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति एवं इस मद हेतु कुल रूपये 52.00 करोड़ राशि की स्वीकृति के संबंध में।

संख्या - खा.प्र. 02 अधि.-बोनस 01/2016 - 4795, -- धान उत्पादक किसानों को उनके धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने तथा राज्य को धान उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2011-12 से धान अधिप्राप्ति योजना प्रारंभ की गई है ।

2. राज्य के किसानों से खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे धान की अधिप्राप्ति करने हेतु झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची भारतीय खाद्य निगम एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा चयनित प्राईवेट प्लेयर्स NCML को अधिप्राप्ति एजेन्सी तथा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड नोड्ल अभिकरण नामित किया गया है ।

3. खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में धान अधिप्राप्ति का कार्य राज्य के पलामू, दक्षिणी छोटानापुर एवं कोल्हान प्रमंडल में भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वयं अथवा प्राईवेट प्लेयर्स के सहयोग से किया जायेगा । संथाल परगना प्रमण्डल एवं उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल में अधिप्राप्ति झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची द्वारा किया जायेगा ।

4. राज्य के किसानों को उनके उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने, अधिप्राप्ति में उनकी पूर्ण सहभागिता के लिए उन्हें प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने के लिए खरीफ विपणन मौसम 2017-18 के अन्तर्गत अधिप्राप्ति कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्धारित धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,550 रूपये प्रति क्विंटल साधारण एवं 1,590 रूपये प्रति क्विंटल ग्रेड ''ए'' के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 150.00 रूपये की दर से बोनस भुगतान किया जायेगा ।

5. राशि की निकासी बजटीय उपबंध के तहत मुख्यशीर्ष-3456-सिविल पूर्ति-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना/102-सिविल पूर्ति योजना-/789- अनुसूचित जातियों की विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-52-धान अधिप्राप्ति हेतु बोनस भुगतान-06 अनुदान-52 सब्सिडी (18S345600-796/102/789-520652) से की जायेगी । इस मद में 52 करोड़ रूपये उपबंधित है । इसी राशि में से अधिप्राप्ति केन्द्रों पर आवश्यक उपकरण यथा नमीमापक यन्त्र, विश्लेषण किट, टैबेलेट, वेईंग मशीन आदि विभाग द्वारा क्रय कर अधिष्ठापित करना है जिसमें लगभग 2.5 करोड़ रूपये व्यय होना संभावित है ।

जिन क्षेत्रों (उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, संथाल परगना प्रमण्डल एवं पलामू प्रमण्डल) में अधिप्राप्ति का कार्य झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जा रहा है उन क्षेत्रों में धान के परिवहन का कार्य जिला स्तर पर निविदा के माध्यम से चयनित परिवहनकर्ताओं द्वारा या डोर स्टेप डिलिवरी के परिवहनकर्ताओं या झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड के परिवहनकर्ताओं द्वारा किया जायेगा । एन॰सी॰एम॰एल॰ के क्षेत्रों (दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल एवं कोल्हान प्रमण्डल) में इस व्यवस्था को लागू करने से संबंधित यदि भारतीय खाद्य निगम एवं एन॰सी॰एम॰एल॰ की ओर से प्रस्ताव प्राप्त होता है तो इस पर खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा विचार किया जायेगा । निर्धारित समय सीमा के अन्दर राईस मिलों द्वारा सी॰एम॰आर॰ जमा कर देने की स्थिति में मिलिंग शुल्क के समतुल्य विभाग द्वारा राईस मिलों को इनसेंटिव दिया जाना है । निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वर्तमान मिलिंग के शुल्क के आधार पर इसमें रूपये 8.00 करोड़ व्यय संभावित है । परिवहन में भारत सरकार द्वारा देय राशि से अधिक व्यय होने की स्थिति में अन्तर राशि की प्रतिपूर्ति एवं इनसेंटिव में खर्च होने वाली राशि का व्यय भी ''धान अधिप्राप्ति बोनस हेतु भुगतान शीर्ष'' से किया जायेगा । इस मद में खरीफ विपणन मौसम 2016-17 हेतु बोनस भुगतान के लिए नोडल अभिकरण झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड के पास पूर्व से ही 23.50 करोड़ रूपये संचित है ।

6. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची एवं नियंत्री पदाधिकारी, सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे । इस राशि (49.5 करोड़) को एकमुश्त अग्रिम निकासी कर नोडल अभिकरण झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची को बैंक खाता के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा अथवा इस राशि (49.5 करोड़) को एकमुश्त नोडल अभिकरण झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची के पी॰एल॰ खाता में हस्तांतरित किया जायेगा । किसानों को नियमित एवं ससमय भुगतान हेतु नोडल अभिकरण द्वारा राशि प्राप्त होते ही अग्रिम के रूप में कुल लक्ष्य पर खर्च होने वाले बोनस की कुल राशि का 20 प्रतिशत राशि अधिप्राप्ति एजेन्सियों (भारतीय खाद्य निगम एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राधिकृत प्राईवेट प्लेयर्स NCML) को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसके बाद प्रत्येक सप्ताह में किसानों को भुगतान किये गये बोनस से संबंधित प्रतिवेदन के आधार पर प्रत्येक सप्ताह के अन्त में अधिप्राप्ति एजेन्सियों को नोडल अभिकरण द्वारा राशि उपलब्ध करायी जायेगी । अग्रिम राशि का समायोजन अधिप्राप्ति अवधि के अंतिम महीना में कर लिया जायेगा ।

7. अधिप्राप्ति एजेन्सियों द्वारा वितरित किये गये बोनस का लेखा जोखा/उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि की पूर्ण जिम्मेदारी नोडल अभिकरण झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की होगी । नोडल अभिकरण द्वारा खरीफ विपणन मौसम के अन्त में लेखा का संधारण किया जायेगा ।

8. खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को रूपये 150.00 प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति पर योजना प्राधिकृत समिति की सहमति प्राप्त है ।

9. उक्त के संलेख पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 28 नवम्बर, 2017 की बैठक की मद संख्या-09 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 544 -- 100